

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 233]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 अप्रैल 2011—वैशाख 10, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल, 2011

क्र. 1800-168-इकीस-अ-(प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 अप्रैल, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् २०११

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक २३ अप्रैल, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक ३० अप्रैल, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, २०११ है। संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

२. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक १८ सन् २००५) की धारा ९ में, उपधारा (२) में खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा ९ का संशोधन.

“(ख) राजकोषीय घाटे को कम करेगी, जिसमें ३१ मार्च, २०१२ तक वह जीएसडीपी के ३ प्रतिशत से अधिक न रहे और तत्पश्चात् उसे बनाए रखेगी।”

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्र. 1801-168-इककीस-अ (प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 16 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव।

MADHYA PRADESH ACT

No. 16 of 2011

THE MADHYA PRADESH RAJKOSHIYA UTTARDAYITVA AVAM BUDGET PRABANDHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 23rd April, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th April, 2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

Amendment of Section 9.

2. In Section 9 of the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005 (No. 18 of 2005), in sub-section (2), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) reduce fiscal deficit so as to bring it down to not more than 3 percent of GSDP by 31st March, 2012 and maintain it thereafter.”.